रजिस्ट्री सं.डीएल—(एन) 04/0007/2003—19 REGISTERED No- DL—(N) 04/0007/2003—19

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित:

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16—फरवरी 22, 2019 (माघ 27, 1940):

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16—FEBRUARY 22, 2019 (MAGHA 27, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके:

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc- of Govt- Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2019

सं. वीपीएस–03/04/97–प्रशासन––इस कार्यालय के दिनांक 12.04.2018 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनुसरण में राष्ट्रपति जी ने श्री अशोक दीवान द्वारा धारित निदेशक पद से संयुक्त सचिव पद पर अस्थायी उन्नयन की अवधि को वैयक्तिक आधार पर 13.04.2019 से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पूर्व हो, बढ़ा दिया है।

अरविंद कपूर, अवर सचिव

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली–110011, दिनांक 1 फरवरी 2019

सं. ए–22013/2(i)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री यू. मुरुगन (सीएसएल नं. 3328) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

———————

सं. ए–22013/2(ii)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अरविन्द कुमार (सीएसएल नं. 3431) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

———————

सं. ए–22013/2(iii)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री एम. कन्नन (सीएसएल नं. 3075) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक

25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

———————

सं. ए–22013/2(iv)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री एन. सोमाशेखर (सीएसएल नं. 3054) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए–22013/2(v)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री मुकेश कुमार (सीएसएल नं. 3308) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

———————

सं. ए–22013/2(vi)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राज नाथ सोनी (सीएसएल नं. 3307) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए–22013/2(vii)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री प्रमोद कुमार घिल्डियाल (सीएसएल नं. 3406) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

———————

सं. ए–22013/2(viii)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री बीरेन्द्र प्रसाद गुड्डू (सीएसएल नं. 3399) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए–22013/2(ix)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री टी. जाबिली राजू (सीएसएल नं. 3312) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

———————

सं. ए–22013/2(x)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री पी. जितेन्द्र (सीएसएल नं. 3310) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए–22013/2(xi)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री बेचू भगत (सीएसएल नं. 2958) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

———————

सं. ए–22013/2(xii)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री आर. तुषार (सीएसएल नं. 3066) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए–22013/2(xiii)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राजप्पन के. आर. (सीएसएल नं. 3076) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

———————

सं. ए–22013/2(xiv)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री रंजन गिरी (सीएसएल नं. 3190) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

सं. ए–22013/2(xv)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री के. रघुराम (सीएसएल नं. 3420) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 28 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

———————

सं. ए–22013/2(xvi)/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2018–सीएस. II(ए) दिनांक 24.01.2019 और गृह मंत्रालय के आदेश सं. ए–32014/07/2018–एडी.I(ए) दिनांक 25.01.2019 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री सुरेश कुमार (सीएसएल नं. 2999) को निजी सचिव (PS) के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 25 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2019 तक या इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :––

i यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

ii तदर्थ नियुक्तियों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iii निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा;

iv पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

v ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद;

vi ओ.ए. संख्या 2883/2015 के साथ ओ.ए. संख्या 2891/2015 एवं केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पंजाब के समक्ष पुनर्विचार याचिका आर.ए. सं. 266/2016 के फलस्वरूप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित यूओआई एवं अन्य बनाम हिमांशु प्रभाकर एवं अन्य में डब्ल्यू पी(सी) 1738/2017

vii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

दिनांक 4 फरवरी 2019

सं. ए–22013/1/2018–पीएमई––राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री प्रद्युम्न कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी (सीएसएल एजी सं. 2006/2016) को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड (वेतन स्तर–8, रु. 47,600––1,51,100/–) में प्रधान मंत्री कार्यालय में 31.01.2019 के पूर्वाह्न से 31.12.2019 तक या इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी और अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति या एनएफएस के लिए नहीं गिना जाएगा। इस तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3. उपर्युक्त पदोन्नति निम्नलिखित के परिणामों के अध्यधीन होगी :––

i पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित वाद;

ii ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती वाद; और

iii संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती वाद।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

––––––––––

दिनांक 5 फरवरी 2019

सं. ए–22012/1/2019–पीएमई––राष्ट्रपति, सुश्री कविता पद्मनाभन, आई.ए.एस. (एएमः 2006) को 04 फरवरी 2019 के अपराह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 14 मार्च 2018

सं. I–18011/14/2017–आई.पी.एस.–IV––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष दर्शाए तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करती है :––

क्र.सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री अमित गोयल, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2014)	22.12.2016
2.	श्री हेमंत तिवारी, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2014)	18.12.2017
3.	श्री कुशल पाल सिंह, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2014)	22.12.2016
4.	श्री राहुल अल्वाल, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2014)	01.09.2016
5.	श्री राज बंठिया, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2014)	22.12.2017
6.	श्री राजीव कुमार, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2014)	22.12.2016
7.	श्री सचिन शर्मा, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2014)	22.12.2016
8.	श्री वीक्रम सिंह, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2014)	22.12.2016
9.	श्री उत्कृश्ट प्रसून, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2014)	22.12.2016
10.	श्री शशांक जैसवाल, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2014)	20.11.2016

अंजन सरकार, अवर सचिव

सं. I–18011/14/2018–आई.पी.एस.–4––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमति अपूर्वा गुप्ता, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2013) को दिनांक 01.09.2017 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

अंजन सरकार, अवर सचिव

———————

दिनांक 2 मई 2018

सं. I–18011/17/2017–आई.पी.एस.–4––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के तेलंगाना संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते है :––

क्र.सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री अकून सबरवाल, भा.पु.से. (टी.जी.: 2001)	02.09.2003
2.	श्री विष्णु एस. वारियर, भा.पु.से. (टी.जी.: 2013)	02.09.2015
3.	श्रीमति सीएच. सिंधु शर्मा, भा.पु.से. (टी.जी.: 2014)	22.12.2016

अंजन सरकार, अवर सचिव

———————

दिनांक 4 मई 2018

सं. I–18011/06/2018–आई.पी.एस.–4––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के ओडिसा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते है :––

क्र.सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री अमिताव ठाकुर, भा.पु.से. (ओ.डी.: 1998)	07.09.2000
2.	श्री सुरेश सिंह देवदत्त सिंह, भा.पु.से. (ओ.डी.: 1998)	07.09.2000
3.	श्री दयाल गंगवार, भा.पु.से. (ओ.डी.: 1998)	28.12.2000
4.	श्री राजेश कुमार, भा.पु.से. (ओ.डी.: 1998)	07.09.2000
5.	श्री रवि कांत रजक, भा.पु.से. (ओ.डी.: 1998)	07.09.2000

अंजन सरकार, अवर सचिव

———————

सं. I–18011/13/2017–आई.पी.एस.–4––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते है :––

क्र.सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री हेमराज मीना, भा.पु.से. (उ.प्र.: 2012)	03.09.2014
2.	श्री यमुना प्रसाद, भा.पु.से. (उ.प्र.: 2012)	03.09.2014
3.	श्री संतोष कुमार मिश्रा, भा.पु.से. (उ.प्र.: 2012)	03.09.2014
4.	श्री विजय धुल्ल, भा.पु.से. (उ.प्र.: 2012)	03.09.2014
5.	श्री सोमेन बर्मा, भा.पु.से. (उ.प्र.: 2012)	03.09.2014
6.	श्री आशीश तिवारी, भा.पु.से. (उ.प्र.: 2012)	06.12.2015
7.	श्री अभिषेक यादव, भा.पु.से. (उ.प्र.: 2012)	23.11.2014

अंजन सरकार, अवर सचिव

दिनांक 17 मई 2018

सं. I–18011/08/2017–आई.पी.एस.–4––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते है :––

क्र.सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्रीमति पाटिल मोक्षदा अनिल, भा.पु.से. (एम.एच.: 2011)	29.08.2016
2.	श्री डी. ए. गेदम, भा.पु.से. (एम.एच.: 2012)	24.12.2014

अंजन सरकार, अवर सचिव

———————

दिनांक 4 जुलाई 2018

सं. I–18011/03/2018–आई.पी.एस.–4––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मनीष सिंह, भा.पु.से. (गुजरातः 2013) को दिनांक 30.08.2016 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

अंजन सरकार, अवर सचिव

———————

सं. I–18011/05/2018–आई.पी.एस.–4––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री गौरव तुरा, भा.पु.से. (पंजाबः 2014) को दिनांक 01.09.2016 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

अंजन सरकार, अवर सचिव

———————

दिनांक 10 जुलाई 2018

सं. I–18011/12/2017–आई.पी.एस.–4––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के उत्तराखंड संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते है :––

क्र.सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री केवल खुराना, भा.पु.से. (यू.के.: 20)	06.09.2006
2.	श्रीमति रिदिम अग्रवाल, भा.पु.से. (यू.के.: 2005)	22.08.2007
3.	श्रीमति नीरू गर्ग, भा.पु.से. (यू.के.: 2005)	22.08.2007
4.	श्री कृष्णा कुमार वी.के., भा.पु.से. (यू.के.: 2005)	22.08.2007
5.	श्री निलेश आनंद भार्णे, भा.पु.से. (यू.के.: 2005)	12.12.2007
6.	श्री जान्मेजय प्रभाकर कैलाश, भा.पु.से. (यू.के.: 2007)	18.08.2009
7.	श्री सदानंद एस. राव दाते, भा.पु.से. (यू.के.: 2007)	10.12.2009
8.	श्री संथिल अवूर्दे कृष्ण राज एस., भा.पु.से. (यू.के.: 2007)	18.08.2009
9.	श्री सुनील कुमार मीणा, भा.पु.से. (यू.के.: 2007)	10.12.2009
10.	श्रीमति पी. रेणुका देवी, भा.पु.से. (यू.के.: 2008)	01.09.2010
11.	श्रीमति निवेदिता कुकेटी, भा.पु.से. (यू.के.: 2008)	01.09.2010
12.	श्री बरिंदरजीत सिंह, भा.पु.से. (यू.के.: 2008)	01.09.2010

अंजन सरकार, अवर सचिव

———————

सं. I–18011/16/2017–आई.पी.एस.–4––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री प्रदीप कुमार यादव, भा.पु.से. (डब्ल्यू.बी.: 2013) को दिनांक 23.12.2015 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

अंजन सरकार, अवर सचिव

दिनांक 19 जुलाई 2018

सं. I–18011/01/2017–आई.पी.एस.–4––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमति कुशुम पुनिया, भा.पु.से. (जे.एच.: 2010) को दिनांक 27.02.2017 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

अंजन सरकार, अवर सचिव

———————

दिनांक 3 अक्तूबर 2018

सं. I–18011/10/2018–आई.पी.एस.–4––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री वाय रघुवंशी, भा.पु.से. (डब्ल्यू.बी.: 2013) को दिनांक 02.09.2015 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

अंजन सरकार, अवर सचिव

———————

दिनांक 17 अक्तूबर 2018

सं. I–18011/04/2018–आई.पी.एस.–4––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के असम व मेघालय संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते है :––

क्र.सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार, भा.पु.से. (ए.एम.: 1998)	28.12.2000
2.	डॉ. इनामूल अहक मेंग्नू, भा.पु.से. (ए.एम.: 2012)	25.08.2016

अंजन सरकार, अवर सचिव

———————

दिनांक 23 जनवरी 2019

सं. I–18011/04/2018–आई.पी.एस.–4––राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शिलदित्या चेतिया, भा.पु.से. (ए.एम.: 2009) को दिनांक 31.08.2011 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

अंजन सरकार, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2019

सं. 14012/01/2017–अ.भा.से.III––भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :––

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	संवर्ग	स्थायीकरण की तिथि
1.	मोहम्मद रोशन	कर्नाटक	07.09.2017
2.	बसीर–उल–हक	जम्मू कश्मीर	07.09.2017
3.	चौधरी मोहम्मद यासीन	जम्मू कश्मीर	07.09.2017
4.	सचिन कुमार वैश्य	जम्मू कश्मीर	07.09.2017
5.	कुशल यादव	राजस्थान	07.09.2017
6.	संदीप कुमार	पंजाब	07.09.2017
7.	सुश्री जे. प्रियदर्शनी	बिहार	07.09.2017
8.	श्री राजगनपति आर.	उत्तर प्रदेश	07.09.2017
9.	श्री अभिजीत कपालिश	पंजाब	07.09.2017
10.	श्री शाक्त्य कृष्णन के. पी.	ओडिसा	07.09.2017

ज्योत्स्ना गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2019

सं. के–43011(15)/8/2018–एसईजेड (प्रशा.)––राष्ट्रपति द्वारा श्री वसंता किरण बाबू, (भारतीय वन सेवाः 2008) को वाणिज्य विभाग के अंतर्गत विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त विकास आयुक्त के रूप में 7 वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के स्तर–12 तदनुरूपी वेतन बैंड–3 रु. 15,600––39,100/– एवं ग्रेड वेतन रु. 7,600/– में दिनांक 17.10.2018 (अपराह्न) से चार वर्ष की आरंभिक अवधि, जिसमें उनके द्वारा 17.07.2015 से पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि शामिल है, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

आदित्य नारायण, अवर सचिव

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली–110016, दिनांक 25 जनवरी 2019

सं. ए–32014/01/2018–स्था.––महामहिम राष्ट्रपति वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग में लचीली पूरक योजना (एमएफसीएस) के अंतर्गत स्वस्थाने पदोन्नति के आधार पर श्री सुमन मजूमदार, वैज्ञानिक 'सी' को वैज्ञानिक 'डी' के ग्रेड में पे–मैट्रिक्स–12 के 78,800–2,09,200/– रु. में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन की दिनांक अर्थात् 01 जनवरी, 2019 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2019

सं. 15–3/2019–रा.व्या.सं.प्रा.––राष्ट्रपति, उत्तराखण्ड संवर्ग के भारतीय वन सेवा 1999 बैच के अधिकारी श्री सुरेन्द्र मेहरा को 5 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न से व्याघ्र परियोजना डिविजन, नई दिल्ली, पर्यावरण, वन एवं जलवायु में उप वन महानिरीक्षक के पद पर पाँच वर्ष की अवधि के लिये अर्थात् 4 फरवरी, 2024 अथवा अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

वैभव चन्द्र माथुर, सहायक वन महानिरीक्षक (रा.व्या.सं.प्रा.)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली–110011, दिनांक 22 जनवरी 2019

सं. ए–28019/01/2018–सीएचएस.I––राष्ट्रपति केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के सामान्य सेवा चिकित्सा अधिकारी (जीडीएमओ) उप–संवर्ग के निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) को वास्तविक रूप से उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से नियुक्ति करते हैं :––

क्र.सं.	अधिकारी का नाम और जन्म तिथि	नियुक्ति की तारीख	परिवीक्षा अवधि समाप्त होने की तारीख	नियमित होने की तारीख
1.	डॉ. बी. संध्या	11.08.2014	10.08.2016	11.08.2016
2.	डॉ. जे. प्रदीप कुमार	03.12.2014	02.12.2016	03.12.2016
3.	डॉ. किरण कुमार पोनगुमती	18.12.2014	17.12.2016	18.12.2016
4.	डॉ. अनुपमा घोष	28.12.2015	27.12.2017	28.12.2017
5.	डॉ. खुशी राम	17.02.2011	11.01.2014 (दिनांक 08.04.2012 से 03.03.2013 तक 'अकार्य दिवस' (डाइज़ नॉन) के चलते विस्तारित अवधि)	12.01.2014

क्र.सं.	अधिकारी का नाम और जन्म तिथि	नियुक्ति की तारीख	परिवीक्षा अवधि समाप्त होने की तारीख	नियमित होने की तारीख
6.	डॉ. हरि प्रकाश पुरी	07.08.2014	06.08.2016	07.08.2016
7.	डॉ. सुरूचि गुप्ता	15.01.2015	14.01.2017	15.01.2017
8.	डॉ. अमित कुमार	23.06.2016	22.06.2018	23.06.2018
9.	डॉ. नलिनी कौशिक	18.10.2012	17.10.2014	18.10.2014
10.	डॉ. चंद्र पाल	31.10.2014	30.10.2016	31.10.2016
11.	डॉ. प्रजापति सुनील कुमार कनुभाई	24.12.2014	23.12.2016	24.12.2016
12.	डॉ. तियास सान्याल	30.07.2014	29.07.2016	30.07.2016
13.	डॉ. हेमा गोगिया	25.04.2015	24.04.2017	25.04.2017
14.	डॉ. जुझार सिंह	05.11.2015	04.11.2017	05.11.2017
15.	डॉ. शम्सुद्दीन हसन	10.04.2015	09.04.2017	10.04.2017
16.	डॉ. नीलम	21.08.2014	20.08.2016	21.08.2016
17.	डॉ. राजर्षि चक्रवर्ती	03.02.2014	02.02.2016	03.02.2016
18.	डॉ. कौशिक दास	22.10.2014	21.10.2016	22.10.2016
19.	डॉ. स्मिता भास्कर गोंडेन	30.08.2011	29.08.2013	30.08.2013
20.	डॉ. सचिन जगन्नाथ गायकवाड़	18.06.2012	17.06.2014	18.06.2014
21.	डॉ. अमोल राजाराम अडे	30.11.2012	29.11.2014	30.11.2014
22.	डॉ. सूर्यवंशी सोमनाथ रमेश	01.06.2013	31.05.2015	01.06.2015
23.	डॉ. तोशिक गुप्ता	01.12.2014	30.11.2016	01.12.2016
24.	डॉ. स्वप्रिल सुभाष मोरे	23.02.2015	22.02.2017	23.02.2017
25.	डॉ. नौशीदा के.	27.04.2010	26.04.2012	27.04.2012
26.	डॉ. वेदिका अनिल कुमार भट	11.12.2015	10.12.2017	11.12.2017
27.	डॉ. स्वाति शर्मा	23.03.2015	22.03.2017	23.03.2017
28.	डॉ. शाहिद अमीन	25.08.2014	24.08.2016	25.08.2016
29.	डॉ. भावना रामेतकर	01.08.2013	31.07.2015	01.08.2015
30.	डॉ. लीला प्रसाद	23.11.2009	22.11.2011	23.11.2011
31.	डॉ. कुलभूषण	08.02.2016	07.02.2018	08.02.2018

के. वैंकटेशन, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2019

सं. 32013/4/2018—स्था.——दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/4/2017—सीएस.I(यू) के अनुपालन में, सीएसएस के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को दिनांक 01.01.2019 (पूर्वाह्न) से 30.06.2019 की अवधि के लिए या पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, जनजातीय कार्य मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स स्तर—11 में सीएसएस के ग्रेड—I (अवर सचिव) में पदोन्नत किया गया है।

(i) श्री राजीव कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी

(ii) श्री प्रवीण पंडित, अनुभाग अधिकारी

(iii) श्री संजय कुमार तिवारी, अनुभाग अधिकारी

2. अधिकारियों की पदोन्नति दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/4/2017—सीएस. I(यू) में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन है।

रीमा शर्मा, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 29 नवम्बर 2018

सं. 3—3/2014—प्रशा.——कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2016—सीएस—II(ए) दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के तहत सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के लिए वर्ष 2016 की चयन सूची में शामिल किए जाने के

परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति डाक विभाग के सीएसएसएस के निम्नलिखित नियमित निजी सचिवों को वेतन स्तर 11 (67,700/– रु. 2,08,700/– रु.) में 22.11.2018 के (पूर्वाह्न) से सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के रूप में डाक विभाग में नियुक्त करते हैं।

क्र.सं.	नाम (सर्व/श्री)
1.	राजेश रावल
2.	राजीव कुमार कपूर

2. सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के इसी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.11.2018 के पैरा 3(ii), (iii) तथा (iv) में उल्लिखित मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों और संबंधित न्यायलयी मामलों के संदर्भों के अध्यधीन है।

प्रेम टी. एन., सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

———————

दिनांक 12 दिसम्बर 2018

सं. 3–3/2014–प्रशासन––कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/3/2016–सीएस–II(ए) दिनांक 22.11.2018 के तहत सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव की चयन सूची वर्ष 2016 में शामिल किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, विद्युत मंत्रालय में सीएसएसएस के नियमित निजी सचिव श्री दीपक जिलोहा को डाक विभाग में सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67,700––2,08,700/–) में दिनांक 30.11.2018 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

प्रेम टी. एन., सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

———————

नई दिल्ली–110001, दिनांक 31 जनवरी 2019

सं. एडी–05/2/2018–प्रशासन––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/11/2015–सीएस–I (डी)(पार्ट–I) खंड III दिनांक 28.12.2018 के अनुसरण में, निम्नलिखित अवर सचिव ग्रेड, ग्रेड–I को वेतन मैट्रिक्स स्तर 12 (78,000––2,09,200/– रु.) [7,600/– रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित पूर्व वेतन बैंड–3 (15,600––39,100/– रु.)] में सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) ग्रेड–I में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 30.06.2019 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीख से, प्रोन्नत करते हैं।

क्र.सं.	नाम	सीएसएल सं.	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री प्रभुदास खालखो	6439X	31.12.2018
2.	श्री राकेश कुमार	6299	31.12.2018
3.	श्री प्रेम टी. एन.	6343	31.12.2018
4.	श्री सत्य नारायण दास	6346	31.12.2018

2. उपर्युक्त 'तदर्थ' प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन हैं :––

(i) तदर्थ प्रोन्नति अनिश्चित अवधि तक इस ग्रेड में बने रहने, सीएसएस के ग्रेड I में वरिष्ठता का दावा करने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्तियां किसी भी समय इस संबंध में कोई भी कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती है।

(iii) चयन ग्रेड (उप सचिव) में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की इस ग्रेड में अथवा अलगे उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु वरिष्ठता का प्रयोजन से गणना नहीं की जाएगी।

(iv) यह तदर्थ प्रोन्नति एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 (जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्त एवं अन्य) तथा एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 तथा इससे संबंधित किसी अन्य न्यायालयी प्रकरण के परिणाम के अध्यधीन होगी।

अमित पंकज, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

———————

सं. एडी–06/1/2018–प्रशासन––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/7/2016–सीएस I (यू) (खंड–III) दिनांक 21.12.2018 के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी, श्री हर्ष राज राणा के वेतन मैट्रिक्स स्तर 11 (67,7000––2,08,700/– रु.) [6,600/– रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधन–पूर्व वेतन बैंड–3

(15,600––39,100/– रु.)] में सीएसएस के ग्रेड–I (अवर सचिव) में 24.12.2018 से पूर्णतः तदर्थ आधार पर 30.06.2019 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पदो के भरे जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रोन्नत करते हैं।

2. उपर्युक्त 'तथर्द' प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन हैं:––

(i) तदर्थ प्रोन्नति अनिश्चित अवधि तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सीएसएस के ग्रेड I में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।

(ii) तदर्थ नियुक्तियां किसी भी समय इस संबंध में कोई भी कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती हैं।

(iii) अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की इस ग्रेड में अथवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु वरिष्ठता के प्रयोजन से गणना नहीं की जाएगी।

(iv) तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित के परिणाम के अध्यधीन होगी :––

(क) सी डब्ल्यूपी सं. 13218/2009 में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अपने अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 को पारित आदेश के परिणामस्वरूप दायर एसएलपी(सी) सं. 3062/2011 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अन्य संबंधित मामले।

(ख) अखिल भारतीय समता मंच एवं अन्य बनाम भारत संध एवं अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी(सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 तथा किसी सक्षम न्यायालय में दायर अन्य संबंधित न्यायालयी मामले और,

(ग) संबंधित मामले में कोई अन्य न्यायालयी मामला।

अमित पंकज, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

———————

सं. एडी–06/1/2018–प्रशासन––राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/4/2017–सीएस–I (यू) दिनांक 28.12.2018 और 31.12.2018 के अनुसरण में, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स स्तर 11 (67,700––2,08,700/– रु.) [6,600/– रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित पूर्व वेतन बैंड–3 (15,600––39,100/– रु.)] में सीएसएस के (उप सचिव) ग्रेड–I में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 30.06.2019 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीख से, प्रोन्नत करते हैं।

क्र.सं.	नाम	सीएसएल सं.	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री दलबीर सिंह रंगा	9983	31.12.2018
2.	सुश्री एन. शुभा राव	10037	01.01.2019
3.	श्री थान सिंह	10055	01.01.2019

2. उपर्युक्त 'तदर्थ' प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन हैं :––

(i) तदर्थ प्रोन्नति अनिश्चित अवधि तक इस ग्रेड में बने रहने, सीएसएस के ग्रेड I में वरिष्ठता का दावा करने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्तियां किसी भी समय इस संबंध में कोई भी कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती हैं।

(iii) अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की इस ग्रेड में अथवा अलगे उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु वरिष्ठता के प्रयोजन से गणना नहीं की जाएगी।

(iv) यह तदर्थ प्रोन्नति एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 (जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्त एवं अन्य) तथा एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 तथा इससे संबंधित किसी अन्य न्यायालयी प्रकरण के परिणाम के अध्यधीन होगी।

अमित पंकज, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली–110003, दिनांक 8 फरवरी 2019

सं. 49/106/2017–प्रशासन–1––राष्ट्रपति, श्री संदीप मुखर्जी को वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में उप सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 14.01.2019 के पूर्वाह्न से 30.06.2019 तक की अवधि के लिए या अगले आदेश तक या नियमित पद पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/11/2015–सी.एस.–I(डी)(भा.I)(खंड–III) दिनांक 28.12.2018 में निर्धारित शर्तों के आधीन रहेगी।

अरविंद पोखरियाल, अवर सचिव

———————

सं. 49/02/2019–प्रशासन–1––कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 04/1/2019–सी.एस.–1(डी) दिनांक 06.02.2019 के द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्री के. सलिल कुमार को इस मंत्रालय में उप सचिव के पद पर 06.02.2019 के अपराह्न से पदस्थ किया जाता है।

अरविंद पोखरियाल, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2019

सं. 06/2019 फा.सं. 2–2/2/2017–प्रशा.II––राष्ट्रपति, श्री अजय गैरोला (सीएसएल सं. 6475) को 31.12.2018 के पूर्वाह्न से दिनांक 30 जून, 2019 तक की अवधि अथवा नियमित आधार पर पदों को भरे जाने अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए विद्युत मंत्रालय में पे–मैट्रिक्स के लेवल–12 (पूर्व संशोधित पीबी–3 रु. 15,600––39,100/– ग्रेड पे रु. 7,600/–) में तदर्थ आधार पर उप सचिव (केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 (जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता एवं अन्य) तथा एसएलपी(सी) सं. 31288/2017 और इससे जुड़े किसी अन्य न्यायालय मामले के निर्णय के अध्यधीन होगी।

3. इसके अतिरिक्त, अधिकारी की नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.12.2018 के आदेश सं. 4/11/2015–सीएस–I (डी)(भाग–I)(खंड III) में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होगी।

एस. वेंकटेश्वरलू, अवर सचिव

———————

VICE PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 4th February 2019

No. VPS-03/04/97-Admn.—In continuation to this Secretariat's Notification of even No. dt. 12.04.2018, the President is pleased to extend the period of temporary upgradation of the post of Director to Joint Secretary being occupied by Shri Ashok Dewan, as a measure personal to him, for a further period of one year with effect from 13.04.2019 or until further orders, whichever is earlier.

ARVIND KAPOOR, Under Secretary

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 1st February 2019

No. A-22013/2(i)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri U. Murugan (CSL No. 3328) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(ii)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri Arvind Kumar (CSL No. 3431) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(iii)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri M. Kannan (CSL No. 3075) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(iv)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri N. Somasekhar (CSL No. 3054) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(v)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri Mukesh Kumar (CSL No. 3308) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(vi)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri Raj Nath Soni (CSL No. 3307) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(vii)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri Pramodh Kumar Ghildiyal (CSL No. 3406) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(viii)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri Birendra Prasad Guddu (CSL No. 3399) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(ix)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri T. Jabilli Raju (CSL No. 3312) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(x)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri P. Jeethendra (CSL No. 3310) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(xi)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri Bechu Bhagat (CSL No. 2958) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(xii)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri R. Tushar (CSL No. 3066) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(xiii)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri Rajappan K.R. (CSL No. 3076) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(xiv)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri Ranjan Giri (CSL No. 3190) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(xv)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri K. Reguram (CSL No. 3420) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

No. A-22013/2(xvi)/2019-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2018-CS.II(A) dated 24.01.2019 and Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32014/07/2018-Ad.I(A) dated 25.01.2019, the President is pleased to appoint Shri Suresh Kumar (CSL No. 2999) as Private Secretary (PS) of Central Secretariat Stenographers' Service in the Prime Minister's Office on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th January, 2019, for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up through regular promotion or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion to the grade of Private Secretary will be subject to the following conditions :—

i. The ad-hoc promotion shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PS of CSSS;

ii. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof;

iii. The service rendered on ad-hoc basis in the PS grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;

iv. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

v. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

vi. The WP (C) 1738/2017 in UOI & ANR Vs. Himanshu Prabhakar & Ors pending before Hon'ble Delhi High Court arising out O.A. No. 2883/2015 with O.A. No. 2891/2015 and Review Petition RA No. 266/2016 in CAT, PB;

vii. Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

The 4th February 2019

No. A-22013/1/2018-PME—The President is pleased to appoint Shri Pradyumn Kumar, Assistant Section Officer (CSL AG No. 2006/216) of the Central Secretariat Service (CSS) to the Section Officer Grade of CSS, (Pay Level-08, Rs. 47,600—1,51,100/-), on 'ad-hoc' basis in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 31.01.2019 upto 31.12.2019 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade of the CSS and the Service rendered on ad-hoc basis in the Section Officers' Grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade or grant of NFS. This ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

3. The above promotion shall be subject to the outcome of:—

(d) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of the final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

(e) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of the Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No. 3490/2010 filled by the All India Equality Forum & Others Vs UOI & Others and other related court cases in any competent court;

(f) Any other court cases in a connected matter.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

The 5th February 2019

No. A-22012/1/2019-PME—The President is pleased to appoint Ms. Kavitha Padmanabhan, IAS (AM: 2006) as Deputy Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 4th February, 2019.

SURAJIT DUTTA, Under Secretary

MINISTRY OF HOME AFFARIS

New Delhi-110001, the 14th March 2018

No. I-18011/14/2017-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following IPS Probationers of AMGUT Cadre, in the Indian Police Service with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer S/Shri	Date of confirmation in IPS
1.	Shri Amit Goel, IPS (AGMUT:2014)	22.12.2016
2.	Dr. Hemant Tiwari, IPS (AGMUT:2014)	18.12.2017
3.	Shri Kushal Pal Singh, IPS (AGMUT:2014)	22.12.2016
4.	Shri Rahool Alwal, IPS (AGMUT:2014)	01.09.2016
5.	Shri Raja Banthia, IPS (AGMUT:2014)	22.12.2017

Sl. No.	Name of the IPS Probationer S/Shri	Date of confirmation in IPS
6.	Shri Rajeev Kumar, IPS (AGMUT:2014)	22.12.2016
7.	Shri Sachin Sharma, IPS (AGMUT:2014)	22.12.2016
8.	Shri Vikram Singh, IPS (AGMUT:2014)	22.12.2016
9.	Shri Utkrisht Prasoon, IPS (AGMUT:2014)	22.12.2016
10.	Shri Shashank Jaiswal, IPS (AGMUT:2014)	20.11.2016

ANJAN SARKAR, Under Secretary

No. I-18011/14/2017-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Ms. Apoorva Gupta, IPS (AGMUT: 2013), in the Indian Police Service with effect from 01.09.2017.

ANJAN SARKAR, Under Secretary

The 2nd May 2018

No. I-18011/17/2017-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of Telangana, in the Indian Police Service with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer S/Shri	Date of confirmation in IPS
1.	Shri Akun Subharwal, IPS (TG:2001)	02.09.2003
2.	Shri Vishnu S. Warrier, IPS (TG:2013)	02.09.2015
3.	Ms. Ch. Sindhu Sarma, IPS (TG:2014)	22.12.2016

ANJAN SARKAR, Under Secretary

The 4th May 2018

No. I-18011/06/2018-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of Odisha, in the Indian Police Service with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer S/Shri	Date of confirmation in IPS
1.	Shri Amitabh Thakur, IPS (OD:1998)	07.09.2000
2.	Shri Suresh Singh Devbatta Singh, IPS (OD:1998)	07.09.2000
3.	Shri Dayal Gangwar, IPS (OD:1998)	28.12.2000
4.	Shri Rajesh Kumar, IPS (OD:1998)	07.09.2000
5.	Shri Ravi Kant Rajak, IPS (OD:1998)	07.09.2000

ANJAN SARKAR, Under Secretary

No. I-18011/13/2017-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of Uttar Pradesh, in the Indian Police Service with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer S/Shri	Date of confirmation in IPS
1.	Shri Hemraj Meena, IPS (UP:2012)	03.09.2014
2.	Shri Yamuna Prasad, IPS (UP:2012)	03.09.2014
3.	Shri Santosh Kumar Mishra, IPS (UP:2012)	03.09.2014
4.	Shri Vijay Dhull, IPS (UP:2012)	03.09.2014

Sl. No.	Name of the IPS Probationer S/Shri	Date of confirmation in IPS
5.	Shri Somen Barma, IPS (UP:2012)	03.09.2014
6.	Shri Ashishk Tiwari, IPS (UP:2012)	06.12.2015
7.	Shri Abhishek Yadav, IPS (UP:2012)	23.11.2014

ANJAN SARKAR, Under Secretary

The 17th May 2018

No. I-18011/08/2017-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of Maharashtra, in the Indian Police Service with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer S/Shri	Date of confirmation in IPS
1.	Smt. Patil Mokshada Anil, IPS (MH:2011)	29.08.2016
2.	Shri D. A. Gedam, IPS (MH:2012)	24.12.2014

ANJAN SARKAR, Under Secretary

No. I-18011/03/2018-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Manish Singh, IPS (GJ: 2013), in the Indian Police Service with effect from 30.08.2016.

ANJAN SARKAR, Under Secretary

No. I-18011/05/2018-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Gaurav Toora, IPS (PB: 2014), in the Indian Police Service with effect from 01.09.2016.

ANJAN SARKAR, Under Secretary

The 10th July 2018

No. I-18011/12/2017-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of Uttarakhand, in the Indian Police Service with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer S/Shri	Date of confirmation in IPS
1.	Shri Kewal Khurana, IPS (UK:2004)	06.09.2006
2.	Ms. Ridhim Aggarwal, IPS (UK:2005)	22.08.2007
3.	Ms. Neeru Garg, IPS (UK:2005)	22.08.2007
4.	Shri Krishnakumar V.K., IPS (UK:2005)	22.08.2007
5.	Shri Nilesh Anand Bharne, IPS (UK:2005)	12.12.2007
6.	Shri Janmenjay Prabhakar Kailash, IPS (UK:2007)	18.08.2009
7.	Shri Sadanand Shankarrao Date, IPS (UK:2007)	10.12.2009
8.	Shri Senthil Avoodai Krishna Raj S., IPS (UK:2007)	18.08.2009
9.	Shri Sunil Kumar Meena, IPS (UK:2007)	10.12.2009
10.	Ms. P. Renukadevi, IPS (UK:2008)	01.09.2010
11.	Ms. Nivedita Kukreti, IPS (UK:2008)	01.09.2010
12.	Shri Barinderjit Singh, IPS (UK:2008)	01.09.2010

ANJAN SARKAR, Under Secretary

No. I-18011/16/2017-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Pradeep Kumar Yadav, IPS (WB: 2013), in the Indian Police Service with effect from 23.12.2015.

ANJAN SARKAR, Under Secretary

The 19th July 2018

No. I-18011/01/2017-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Ms. Kushum Punia, IPS (JH: 2010), in the Indian Police Service with effect from 27.02.2017.

ANJAN SARKAR, Under Secretary

The 3rd October 2018

No. I-18011/10/2018-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Y Raghuvamshi, IPS (WB: 2013), in the Indian Police Service with effect from 02.09.2015.

ANJAN SARKAR, Under Secretary

The 17th October 2018

No. I-18011/04/2018-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of Assam and Meghalaya, in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer S/Shri	Date of confirmation in IPS
1.	Shri Surendra Kumar, IPS (AM:1998)	28.12.2000
2.	Dr. Inamulhaq Mengnoo, IPS (AM:2012)	25.08.2016

ANJAN SARKAR, Under Secretary

The 23rd January 2019

No. I-18011/04/2018-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm of Shri Shiladitya Chetia, IPS (AM: 2009), in the Indian Police Service with effect from 31.08.2011.

ANJAN SARKAR, Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 5th February 2019

No. 14012/01/2017-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following member of the Indian Administrative Service of 2015 batch in the Indian Administrative Service, with effect from date (s) shown against them :—

Sl. No.	Name of Officer (Shri/Smt.)	Cadre	Date of Confirmation
1.	Mohammad Roshan	Karnataka	07.09.2017
2.	Baseer-Ul-Haq	Jammu Kashmir	07.09.2017
3.	Choudhary Mohammad Yasin	Jammu Kashmir	07.09.2017
4.	Sachin Kumar Vaishy	Jammu Kashmir	07.09.2017
5.	Khushaal Yadav	Rajasthan	07.09.2017
6.	Sandeep Kumar	Punjab	07.09.2017
7.	Ms. J Priyadharshini	Bihar	07.09.2017
8.	Shri Rajaganapathy R.	Uttar Pradesh	07.09.2017
9.	Shri Abhijeet Kaplish	Punjab	07.09.2017
10.	Shri Sakthya Krishnan K P	Odisha	07.09.2017

JYOTSNA GUPTA, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 6th February 2019

No. K-43011(15)/8/2018-SEZ(ADMIN.)—The President is pleased to appoint Shri Vasanta Kiran Babu (Indian Forest Service : 2008) as Joint Development Commissioner in Visakhapatnam Special Economic Zone under the Department of Commerce in Level 12 of the 7th CPC Pay Matrix, corresponding to the Pay Band-3 of ₹ 15,600—39,100/- plus GP ₹ 7,600/- w.e.f. 17.10.2018 (afternoon) for an initial period of four years, inclusive of the period already spent by him on deputation in the Regional Office of Ministry of Environment, Forest & Climate Change w.e.f. 17.07.2015 or until further orders, which is earlier.

ADITYA NARAYAN, Under Secretary

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 25th January 2019

No. A-32014/01/2018-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Suman Mazumdar, Scientist 'C' to the grade of Scientist 'D' in the Department of Scientific & Industrial Research on in-situ promotion basis under the Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) in the Pay Matrix Level -12 of Rs. 78,800—2,09,200/- with effect from the date of approval of appointing authority i.e. 01.01.2019 (F/N) and until further orders.

KULDIP KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 5th February 2019

No. 15-3/2019-NTCA—The President is pleased to appoint Shri Surender Mehra, IFS (UTT: 1999) to the post of Deputy Inspector General of Forests at the Project Tiger Division of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi on deputation w.e.f. forenoon of February 5, 2019 for a period of five years i.e. upto February 4, 2024 or until further orders whichever is earlier.

VAIBHAV C. MATHUR, Assistant Inspector General Forests

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 22nd January 2019

No. A-28019/01/2018-CHS.I—The President is pleased to appoint the following Medical Officers (MO) of General Duty Medical Officer (GDMO) sub-cadre of the Central Health Service (CHS) substantively, with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name & Date of Birth of the Officer	Date of appointment	Date of probation clearance	Date of confirmation
1.	Dr. B. Sandhya	11.08.2014	10.08.2016	11.08.2016
2.	Dr. J. Pradeep Kumar	03.12.2014	02.12.2016	03.12.2016
3.	Dr. Kiran Kumar Ponugumati	18.12.2014	17.12.2016	18.12.2016
4.	Dr. Anupama Ghosh	28.12.2015	27.12.2017	28.12.2017
5.	Dr. Khushi Ram	17.02.2011	11.01.2014 (Extended due to 'dies-non' period w.e.f. 08.04.2012 to 03.03.2013)	12.01.2014
6.	Dr. Hari Prakash Puri	07.08.2014	06.08.2016	07.08.2016
7.	Dr. Suruchi Gupta	15.01.2015	14.01.2017	15.01.2017
8.	Dr. Amit Kumar	23.06.2016	22.06.2018	23.06.2018

Sl. No.	Name & Date of Birth of the Officer	Date of appointment	Date of probation clearance	Date of confirmation
9.	Dr. Nalini Kaushik	18.10.2012	17.10.2014	18.10.2014
10.	Dr. Chandra Pal	31.10.2014	30.10.2016	31.10.2016
11.	Dr. Prajapati Sunil Kumar Kanubhai	24.12.2014	23.12.2016	24.12.2016
12.	Dr. Tiaas Sanyal	30.07.2014	29.07.2016	30.07.2016
13.	Dr. Hema Gogia	25.04.2015	24.04.2017	25.04.2017
14.	Dr. Jujhar Singh	05.11.2015	04.11.2017	05.11.2017
15.	Dr. Shamsuddin Hassan	10.04.2015	09.04.2017	10.04.2017
16.	Dr. Neelam	21.08.2014	20.08.2016	21.08.2016
17.	Dr. Rajarshi Chakraborty	03.02.2014	02.02.2016	03.02.2016
18.	Dr. Kausik Das	22.10.2014	21.10.2016	22.10.2016
19.	Dr. Smita Bhaskar Gondane	30.08.2011	29.08.2013	30.08.2013
20.	Dr. Sachin Jagannath Gaikwad	18.06.2012	17.06.2014	18.06.2014
21.	Dr. Amol Rajaram Ade	30.11.2012	29.11.2014	30.11.2014
22.	Dr. Suryavanshi Somnath Ramesh	01.06.2013	31.05.2015	01.06.2015
23.	Dr. Toshik Gupta	01.12.2014	30.11.2016	01.12.2016
24.	Dr. Swapnil Subhash More	23.02.2015	22.02.2017	23.02.2017
25.	Dr. Naushida K.	27.04.2010	26.04.2012	27.04.2012
26.	Dr. Vedika Anil Kumar Bhat	11.12.2015	10.12.2017	11.12.2017
27.	Dr. Swati Sharma	23.03.2015	22.03.2017	23.03.2017
28.	Dr. Shahid Amin	25.08.2014	24.08.2016	25.08.2016
29.	Dr. Bhawana Rametkar	01.08.2013	31.07.2015	01.08.2015
30.	Dr. Leela Prasad	23.11.2009	22.11.2011	23.11.2011
31.	Dr. Kulbhooshan	08.02.2016	07.02.2018	08.02.2018

K. VENKATESAN, Under Secretary

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

Delhi, the 30th January 2019

No. 32013/4/2018-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/4/2017-CS.I(U) dated 28th December, 2018, the following Section Officers of CSS are promoted to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in Pay Matrix Level – 11 on purely ad-hoc basis in Ministry of Tribal Affairs w.e.f. 1.1.2019 (FN) for a period upto 30.6.2019 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier,

(i) Sh. Rajiv Kumar Singh, SO

(ii) Sh. Praveen Pandit, SO

(iii) Sh. Sanjay Kumar Tiwary, SO

2. The promotion of the officers is subject to the conditions laid down in the DoPT's O.M. No. 5/4/2017-CS.I(U) dated 28th December, 2018.

REEMA SHAMA, Under Secretary

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi–110001, the 29th November 2018

No. 3-3/ 2014 – Admn.—Consequent upon inclusion in the Select List Year 2016 for the Principal Private Secretary of CSSS vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2016-CS-II (A) dated 22nd November, 2018, the

President is pleased to appoint the following regular Private Secretaries of CSSS in Department of Posts as Principal Private Secretary of CSSS in Department of Posts with effect from 22.11.2018 (F/N) in the Pay Level-11 (67,700—2,08,700/-).

S. No. Name (S/Shri)

1. Rajesh Rawal

2. Rajeev Kumar Kapur

2. The appointment of the above officers to the grade of PPS of CSSS is subject to further orders which may be passed by Hon'ble Courts in the cases mentioned in Para 3 (ii), (iii) and (iv) of the DoPT's ibid O.M. dated 22.11.2018 and references to that extant in the connected court matters.

PREM T.N., Assistant Director General (Admn.)

The 12th December 2018

No. 3–3/2014 – Admn.—Consequent upon inclusion in the Select List Year 2016 for the Principal Private Secretary of CSSS vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2016- CS-II (A) dated 22.11.2018, the President is pleased to appoint Shri Deepak Jiloha, a regular PS of CSSS in the Ministry of Power as Principal Private Secretary of CSSS in Department of Posts with effect from 30.11.2018 (A/N) in the Level 11 (67,700—2,08,700/-) of the Pay Matrix.

PREM T.N., Assistant Director General (Admn.)

New Delhi-110001, the 31st January 2019

No. AD-05/2/2018-Admin.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 4/11/2015-CS-I(D)(pt-I)(Vol.III) dated 28.12.2018, the President is pleased to promote following Grade-I (Under Secretary) of CSS to the Selection Grade (Deputy Secretary) in the Pay Matrix level-12 (Rs.78,800-2,09,200) [pre-revised PB-3 (Rs. 15600-39100) with a Grade Pay of Rs.7600/-] purely on ad-hoc basis for a period up to 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier w.e.f. the date shown against their names:—

Sl. No.	Name	CSL No.	Date of Assumption of Charge
1.	Shri Prabhu Das Xalxo	6439X	31.12.2018
2.	Shri Rakesh Kumar	6299	31.12.2018
3.	Shri Prem T.N	6343	31.12.2018
4.	Shri Satya Narayan Dash	6346	31.12.2018

2. The above the 'ad-hoc' promotion is subject to the following conditions :—

(i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of the CSS.

(ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

(iii) The service rendered on ad-hoc basis in the Selection Grade (Deputy Secretary) would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.

(iv) The ad-hoc promotion will remain subject to outcome of the SLP (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Ors Vs Lachhmi Narain Gupta & Ors) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court case in a connected manner.

AMIT PANKAJ, Assistant Director General (Admn.)

No. AD-06/1/2018-Admin.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order 5/7/2016-CS.I (U)(Vol.II) dated 21.12.2018, the President is pleased to promote Sh. Harsh Raj Rana, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix level-11 (Rs. 67,700—2,08,700/-) [pre-revised PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with a Grade Pay of Rs. 6600/-] w.e.f 24.12.2018 purely on ad-hoc basis for a period up to 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier.

2. The above the 'ad-hoc' promotion is subject to the following conditions:—

(i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of CSS.

(ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

(iii) The service rendered on ad-hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.

(iv) The ad-hoc promotion will remain subject to outcome of:—

a. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court.

b. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Other Vs UOI & Ors. and other related court cases in any competent court and,

c. Any other court case in a connected manner.

AMIT PANKAJ, Assistant Director General (Admn.)

No. AD-06/1/2018-Admin.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/4/2017-CS.I(U) dated 28.12.2018 and 31.12.2018, the President is pleased to promote following Section Officers to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix level-11 (Rs. 67,700—2,08,700/-) [pre-revised PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with a Grade Pay of Rs. 6,600/-] purely on ad-hoc basis for a period up to 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier w.e.f. the date shown against their names :—

Sl. No.	Name	CSL No.	Date of Assumption of Charge
1.	Shri Dalbir Singh Ranga	9983	31.12.2018
2.	Ms. N. Shubha Rao	10037	01.01.2019
3.	Shri Than Singh	10055	01.01.2019

2. The above the 'ad-hoc' promotion is subject to the following conditions :—

(i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of CSS.

(ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

(iii) The service rendered on ad-hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.

(iv) The ad-hoc promotion will remain subject to outcome of the SLP (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Ors Vs Lachhmi Narain Gupta & Ors) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court case in a connected manner.

AMIT PANKAJ, Assistant Director General (Admn.)

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi–110003, the 8th February 2019

No. 49/106/2017-Admn.I—The President is pleased to appoint Sh. Sandeep Mukherjee to the post of Deputy Secretary in the Pay Matrix of Level 12, on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 14th January, 2019 upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. The promotion is further subject to the terms and conditions laid down in Department of Personnel & Training's Order No. 4/11/2015-CS-I(D)(Pt-I)(Vol.III) dated 28th December, 2018.

ARVIND POKHRIYAL, Under Secretary

No. 49/2/2019-Admn.I—Consequent upon his posting to the Ministry of New and Renewable Energy vide Department of Personnel & Training's Order. No. 4/01/2019-CS-I(D) dated 06th February, 2019, Sh. K. Salil Kumar, Deputy Secretary is taken on the strength of this Ministry with effect from the afternoon of 06th February, 2019.

ARVIND POKHRIYAL, Under Secretary

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 24th January 2019

No. 06/2019 F.No.2-2/2/2017-Admn.II.—The president is please to appoint Shri Ajay Gairola (CSL No. 6475) as Deputy Secretary (Selection Grade of Central Secretariat Services) in the Ministry of Power, on 'ad-hoc' basis in Lavel-12 the Pay Matrix [pre-revised PB-3 Rs.15,600-39,100; Grade Pay-Rs.7600/-] with effect from the forenoon of 31st December, 2018 and for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis, or until further order, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion shall remain subject to the outcome of the SLP (C) No. 30621/2011 (Jarnail Singh & Ors Vs Lachhmi Narain Gupta & Ors) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court case in connected matter.

3. Further, the appointment of the officer shall be governed by the terms and conditions laid down in the Department of Personnel & Training's Order No.4/11/2015-CS-I(D)(pt.I)(Voll.III) dated 28.12.2018.

S. VENKATESHWARLU, Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

BANSHI DHAR DUBEY Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2019.02.16 12:01:50 +05'30'